न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः (अनिल कुमार–X) (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP6522

(I.A.No.01/2024)
सत्र परीक्षण संख्या–683/2023
(कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन नं० 3079/2023)
सरकार बनाम मोनूपाल एवं अन्य
मु०अ०सं०– 620/2022
अंतर्गत धारा– 302, 34 भा०द०सं० व धारा
3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना– मुरादनगर, गाजियाबाद।

22.02.2024

निस्तारण उन्मोचन प्रार्थना पत्र संख्या 8 ख

अभियुक्तगण सोनूपाल व मोनूपाल के द्वारा उपरोक्त अपराध संख्या में स्वयं को उन्मोचित किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र 8 ख प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र पर पक्षकारों को पूर्व में सुना जा चुका है।

2. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि वर्तमान अभियुक्त सोनूपाल के द्वारा स्वयं दिनांक 20.09.2022 को थाना मुरादनगर में इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 19.09.2022 को सायं 8 बजे जब उसके पिता मुरादनगर बिजली घर से अपने गांव बांदीपुर जा रहे थे, तो कुछ दूरी पर वादी ने गोली चलने की आवाज सुनी। उस समय पर अपने पिता से करीब 200 मीटर की दूरी पर था। उसने आगे बढ़कर देखा तो उसके पिता सतेन्द्र पाल लहु लुहान और जख्मी हालत में सड़क पर गिरे पड़े थे। दो बाईकों पर सवार आकाश, अजय, जयकुमार, बलदेव चौधरी जिन्हें उसने भागते हुए देखा और अच्छी तरह से जाना पहचाना, कह रहे थे कि हमने गोली सही जगह मारी है। अग्रेतर यह उल्लेख किया है कि इस षडयंत्र में आयुष त्यागी, ध्रुव त्यागी, रितु तेवतिया और विनोद त्यागी भी शामिल हैं।

3. प्रार्थनापत्र 8 ख में अभियुक्तगण ने अपने तर्क में कहा गया है कि उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्त सोनू स्वयं वादी मुकदमा है तथा वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है एवं उसका बयान भी दिनांक 21.09.2022 को विवेचक ने दर्ज किया। स्वयं अभियुक्त सोनू ने ही विवेचक को घटना स्थल का निरीक्षण कराया और अभियुक्त के समक्ष ही पुलिस ने मौके से खोखा कारतूस बरामद किया जिसकी फर्द पर अभियुक्त के भाई मोनू पाल ने अपने हस्ताक्षर किये, परन्तु विवेचक ने अनुचित व अवैध तरीके से विवेचना करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद 8 अभियुक्तगण का नाम हटाते हुए वर्तमान वाद के वादी सोनू तथा उसके भाई मोनू को अभियुक्त के तौर पर नामजद कर दिया। इस प्रकरण में विवेचक ने मोनू पाल के द्वारा कटटे से गोली मारने का साक्ष्य केस डायरी में उल्लिखित किया है परन्तु घटना के 10 माह पश्चात सोनूपाल से एक पिस्टल की बरामदगी की है जिससे सम्पूर्ण कथानक फर्जी व बनावटी प्रतीत होता है। अतः विवेचक ने बिना किसी साक्ष्य के वर्तमान अभियुक्तगण को इस मुकदमें में आरोपी मानते हुए आरोपपत्र दाखिल किया है जबकि वास्तविक अभियुक्तगण के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की है। अतः उपरोक्त मामले में अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाना न्यायहित के आवश्यक है।

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2024.02.22 16:01:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. अभियोजन के द्वारा उन्मोचन प्रार्थनापत्र 8 ख का विरोध करते हुए कहा गया है कि केस डायरी में विवेचक ने स्वतंत्र साक्षी वीर सिंह व गुलशन के बयानों को अंकित किया है जिनके द्वारा घटना को देखा गया है। अतः ऐसे में इस प्रकरण में अभियुक्तगण की भूमिका साक्ष्यों पर आधारित हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण का उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

5. पक्षकार अधिवक्ताओं को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

6. विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा नम्बर–14 पर साक्षीगण गुलशन कुमार व वीर सिंह के बयानों को दर्ज किया गया है। साक्षी गुलशन कुमार ने बताया है कि घटना के दिन शाम के करीब 7.10 पर वह मोदीनगर से अपनी डयूटी करके वापस घर लौट रहा था। जब वह वीर सिंह के खेत के पास पहुंचा और उससे बात कर ही रहा था तो उसने देखा कि बांदीपुर गेट के पास, सतेन्द्र, मोनू, व मोनी का छोटा भाई सोनू खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी अचानक तीन–चार गोली चलने की आवाज आयी, तो उसने देखा कि मोनू के हाथ में पिस्टल थी तथा उसने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली मारकर मोनू अपने छोटे भाई सोनू के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया था। उस समय उसने यह बात नहीं बतायी क्योंकि मोनू एक हिस्ट्रीशीटर है और सोनू भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। उक्त दोनों के डर से उसने यह बात किसी को नहीं बतायी। उपरोक्त साक्षी गुलशन के साक्ष्य का समर्थन करते हुए वीर सिंह ने भी यही बात बतायी है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध केस डायरी में उपरोक्त साक्षीगण का बयान आरोप विरचन के लिए पर्याप्त है। तदनुसार यह उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तग सोनूपाल एवं मोनूपाल की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र 8 ख निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक 23.02.2024 को पेश हो। अभियुक्तगण को नियत दिनांक के लिए कारागार से तलब किया जाए।

दि० 22.02.2024

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद